जिला सूचना कार्यालय रामपुर द्वारा निःशुल्क प्रकाशनार्थ
E-mail- jilasuchnaadhikari@yahoo.com
Mob.9453005421

दिनांक 19 जून 2018

आगामी चुनावों के दौरान मतदाताओं की सुविधा के मद्देनजर जनपद के मतदेय स्थलों के सम्भाजन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी श्री महेन्द्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के ऐसे मतदेय स्थल, जहॉ मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, उन्हें विभाजित करके नया पोलिंग बूथ बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त 600 से कम मतदाताओं वाले मतदेय स्थलों को नियमानुसार नजदीकी मतदेय स्थलों में सम्मिलित कर दिया जायेगा। पुराने एवं जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित किया जायेगा, साथ ही गांव से दूर के मतदेय स्थलों को मतदान क्षेत्र में अधिकतम 02 कि0मी0 के क्षेत्र में बनाया जायेगा।

उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यागों व अशक्तजनों की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान स्थल पर रैम्प की व्यवस्था होनी चाहिए तथा यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में है तो उसका विकल्प तलाश कर स्थानान्तरित कर दिया जाये। मतदेय स्थलों की सूची के आलेख्य का प्रकाशन कराया जा चुका है तथा मतदेय स्थलों की सूची जनसामान्य हेतु निरीक्षण के लिए प्रत्येक तहसील कार्यालय में उपलब्ध करा दी गयी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधिगण व जनसामान्य 29 जून 2018 तक अपनी आपत्तियां लिखित रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा सम्बन्धित तहसील कार्यालय में दर्ज करा सकते है।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री राम भरत तिवारी सहित जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त उपजिलाधिकारी व तहसीलदार उपस्थित रहे।

निशुल्क प्रकाशनार्थ :–

जिला सूचना अधिकारी
रामपुर